प्रेस नोट- दिनांक 21.09.2023
थाना कोतवाली सदर ,जनपद उन्नाव।

उन्नाव पुलिस

- **थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के गदनखेड़ा में घटित लूट की घटना का हुआ खुलासा**
- **दुकान के पूर्व कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम**
- **दोनों अभियुक्तों को लूट के 84,900 रु0, एक बैग, चार डायरी, तीन नोटबुक, दो अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल बरामद कर किया गया गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस, थाना दही पुलिस एवं एस.ओ.जी. व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.09.2023 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत गदनखेड़ा बाइपास के पास घटित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को लूटे गये 84,900 रु0, एक बैग, चार डायरी, तीन नोटबुक, दो अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.09.2023 को श्री सुशील कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 मुन्नालाल निवासी 762 D.S.N कालेज रोड़ उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीर दी गई कि प्रार्थी की दुकान शहर के गदन खेड़ा बाई पास स्थित मां गायत्री इण्टरप्राइजेज के नाम से स्थित है प्रार्थी अपनी दुकान दिनांक 14/sep/ 23 से समय लगभग सायकाल 06.45 बजे दुकान का नकद कैश 2,25000 रु0 एवम् दुकान के जरुरी कागजात एक बैग मे लेकर अपनी मोटर साइकिल से अपने घर जा रहा था। प्रार्थी की दुकान से मात्र 50 मीटर की दूरी पर दो अज्ञात युवक मोटर साइकिल सवार पीछे से आकर धक्का मारते हुए मोटर साइकिल के हैण्डिल पर टंगा बैग लेकर कानपुर की ओर फरार हो गये।। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर मु0अ0सं0 774/23 धारा 392 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सक्रिय किया गया। आज दिनांक 21.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार थाना कोतवाली सदर व हमराह पुलिस बल व थानाध्यक्ष श्री अनुराग सिंह मय हमराह पुलिस बल एवं एस.ओ.जी. व सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कांशीराम कालोनी तिराहे पर मोटर साइकिल पल्सर नं0 UP 35 AS 9595 सवार अभियुक्तगण 1. प्रदीप सिंह उर्फ मंजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हिन्दूखेड़ा पोस्ट पतारी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष 2.अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 764 DSN रोड AB नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव

उम्र करीब 25 वर्ष हिरासत मे लिया गया तथा दोनों अभियुक्तगण की जामातलाशी से 84,900/- रु0 नकद व दो अदद मोबाइल बरामद हुए। बरामद हुए रुपयों के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभिषेक प्रताप सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह पहले सुशील कुमार जायसवाल की दुकान मां गायत्री इण्टरप्राइजेज कानपुर रोड पर गदन खेड़ा चौराहा पर मुनीम का काम करता था, मुझे मालिक सुशील कुमार जायसवाल ने वर्ष 2019 में नौकरी से निकाल दिया था, मै बेरोजगार हो गया था मुझे पैसो की शख्त जरूरत थी, मैने अपने मित्र मंजीत उर्फ प्रदीप सिंह उपरोक्त के साथ मिलकर सुशील जायसवाल को सबक सिखाने के उद्देश्य से लूट की योजना बनायी थी। दिनांक 13.09.2023 को हम दोनो लोग समय लगभग 06.15 बजे शाम को लूटने के उद्देश्य से गये थे लेकिन तब तक दुकान बन्द हो चुकी थी। दूसरे दिन दिनांक 14.09.2023 को शाम को सुशील कुमार जायसवाल की दुकान के सामने फोर लेन हाईवे सड़क पर खड़े होकर सही समय का इन्तजार कर रहे थे, समय करीब शाम 06.40 बजे सुशील कुमार जायसवाल अपनी दुकान बन्द कर रहे थे, तभी मै अपने दोस्त मंजीत के पास अपनी मोटर साइकिल पल्सर नं0 UP 35 AS 9595 लेकर पहुंच गया था जैसे ही सुशील कुमार जायसवाल मोटर साइकिल पर बैग रखकर आगे हाईवे पर आये तभी मैने अपने मुंह पर गमछा लपेट लिया था तथा हम लोगो ने मौका देखकर समय करीब 06.45 बजे मेरे साथी मंजीत उर्फ प्रदीप सिंह ने सुशील कुमार जायसवाल से बैग को छीन कर कानपुर की तरफ भागे और आगे जाकर हम दोनो लोगो ने बैग को खोला तो बैग में दुकान का लेखा जोखा की कई डायरी व नोट बुक तथा 500 व 200 के नोट थे रुपयो को निकाल कर हम दोनो ने गिना था तो उसमें कुल 100000 (एक लाख) रुपये मिले थे। जिसे हम दोनो ने आपस में आधे आधे रुपये बांट लिये थे तथा बैग व उसमें रखे अन्य सामान को ग्राम गहरा के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। जो रुपये हम दोनो के पास तलाशी में आपको मिले है यह सभी रुपये उसी लूट के रुपये है, जिसमें से कुछ रुपये हम लोगो से खर्च भी हो गये है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की निशांदेही पर ग्राम गहरा के पास से झांडियो से एक पिट्ठू बैग रंग स्लेटी, जिसमें चार डायरी व तीन नोटबुक बरामद की गयी। वादी मुकदमा श्री सुशील कुमार जायसवाल द्वारा बरामद बैग व डायरी तथा नोटबुक की तस्दीक कर सारा सामान खुद का होना बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. प्रदीप सिंह उर्फ मंजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हिन्दूखेड़ा पोस्ट पतारी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष

2.अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी 764 DSN रोड AB नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

लूटे गये 84,900/- रु0 नकद, एक अदद पिट्ठू बैग, चार डायरी व तीन नोटबुक बरामद
घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर नं0 UP 35 AS 9595
दो अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार
2.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
3.उ0नि0 श्री मानिक राम वर्मा
4. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र

5. हे0का0 संजीव कुमार,
6.हे0का0 भानचन्द्र,
7.हे0का0 प्रभाकर राय,
8.का0 राजेश सिंह,
9.का0 अमन चौधरी,
10.का0 सुनील चौहान,
11.का0 रणवीर सिंह,
12.म0का0 रीता

गिरफ्तार करने वाली थाना दही पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री अनुराग सिंह
2. हे0का0 ज्ञान सिंह,
3.हे0का0 रामदेव प्रजापति,
4.का0 अंकुर कुमार,
5.का0 अवनीश चौधरी,
6.का0 कृष्ण प्रताप,
7.का0 सुशील कुमार,
8.का0 पंकज कुमार,
9.का0 विजय कुमार,
10.का0 नरेन्द्र सिंह,
11.का0 सुनील कुमार

एस.ओ.जी. टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी
2. हे0का0 आशीष मिंश्रा
3. हे0का0 सतेन्द्र कुमार
4. हे0का0 सुनील कुमार
5. का0 गौरव
6. का0 रवि

सर्विलांस टीम

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 21.09.2023

थाना बारासगवर ,जनपद उन्नाव।

• दुष्कर्म के वांछित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.09.2023 को थाना बारासगवर पर मु0अ0सं0 148/23 धारा 363/366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना धारा 376 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 21.09.2023 को उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी मय हमराह फोर्स (सादी वर्दी में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित बाल अपचारी को ग्राम धानीखेड़ा से पुलिस संरक्षण में लिया गया।

बाल अपचारी को संरक्षण में लेने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी
2. हे0का0 चन्द्रेश कुमार यादव।
3. का0 सुनील शर्मा।